राजस्थान सरकार
निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर–33 फोन नं. 0141– 2796625 मेल–DIRECTORUNANI@RAJASTHAN.GOVIN

क्रमांक– सामा. / कोरोना / **1058** दिनांक – **26.04.2020**

<u>कार्यालय आदेश</u>

समस्त विभागिय अधिकारियों / कार्मिको को सूचित किया है कि सेवाकार्य में सेवानियमो की समुचित पालना आवश्यक है। COVID-19 महामारी संक्रमण के दृष्टिगत् किसी भी अधिकारी / कार्मिक के क्वारन्टीन / आइसोलेशन / रूगणता सबंधित सूचना तत्काल प्रभाव से निदेशालय को प्रस्तुत करे। मोबाइल फोन 24X7 ऑन रखना सुनिश्चित करे। साप्ताहिक अवकाश हेतु निदेशालय द्वारा जारी निर्देशो की पालना करते हुए, समस्त प्रकार के अवकाश एवं मुख्यालय त्यागने हेतू सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करे। समस्त प्रकार की सूचना निदेशालय द्वारा निर्देशित ईमेल आईडी पर तुरन्त प्रेषित किया जाना आवश्यक है। निर्देशो की अवहेलना पाये जाने पर सेवानियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये स्वयं तथा संबंधित प्रभारी उत्तरदायी होगे।

(डॉ.मो.उस्मान कासमी)
निदेशक

क्रमांक– सामा. / कोरोना / **1055** दिनांक – **26.04.2020**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य वाही हेतु।

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राज., जयपुर।
2. समस्त जिला समनव्यक को दी जा कर आदेशित किया जाता है कि जिले में कार्यरत विभागिय अधिकारी / कार्मिक का COVID-19 संक्रमण के दृष्टिगत् सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त निदेशालय को प्रस्तुत करे।
3. समस्त प्रभारी, यूनानी चिकित्सा संस्थान राज. को आदेशित किया जाता है कि वो स्वयं तथा अधीन कार्यरत अधिकारियों / कार्मिको को सूचित कर समुचित पालना करावें।
4. नोडल अधिकारी विभागिय वेबसाइट को आदेशित किया जाता है कि विभागिय वेबसाइट पर अपलोड करावें तथा संबंधित को ईमेल करावें।
5. प्रति–I / II / लेखा कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

(नजम ज़की)
अति. निदेशक